

अध्याय-5: आर्थिक सेवाएं

अध्याय-5 : आर्थिक सेवाएं

5.1 सड़क अवसंरचना

5.1.1 अवसंरचना

अच्छी अवसंरचना को जिले की विकास दर को बढ़ाने तथा विकसित एवं अल्प विकसित क्षेत्रों के मध्य अन्तर को कम करने में लम्बा रास्ता तय करना होगा। यह दूरस्थ तथा पिछड़े क्षेत्रों को जिला मुख्यालय के निकट भी लाएगी और अर्थव्यवस्था के अन्तर्भूत विकास को पूरा करेगी। अवसंरचना में सभी मौसमों में अच्छी सड़कों का प्रावधान, घरों, औद्योगिक व सिंचाई आवश्यकताओं को पर्याप्त बिजली, रेल सम्पर्कता, हवाई सेवाएं तथा विश्वसनीय संचार सुविधाएं सम्मिलित हैं।

किनौर जिले में कोई हवाई अड्डा एवं रेल सम्पर्कता नहीं है। सबसे नजदीकी हवाई अड्डा तथा रेलवे स्टेशन रिकांगपिओ (जिला मुख्यालय) से 235 किलोमीटर दूर शिमला में स्थित है। जिले में सड़कों के विकास की समीक्षा से उद्घाटित हुआ कि मार्च 2012 तक 73 प्रतिशत गांवों को सड़क से जोड़ा गया था। इस सम्बन्ध में लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा नीचे की गई है:

◆ सड़क सम्पर्कता की स्थिति

जिले में 234 गांव हैं। तथापि, लोक निर्माण विभाग के अभिलेखों के अनुसार विद्यमान 233 गांवों में से मात्र 170 गांवों (73 प्रतिशत) को मार्च 2012 तक सड़क सम्पर्कता उपलब्ध करवाई गई है।

◆ सड़कों के विकास हेतु स्कीमें

सड़कों के निर्माण/ विकास हेतु कार्यान्वित की जा रही अति महत्वपूर्ण स्कीम केन्द्रीय प्रायोजित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार भी राज्य निधियों में से सड़कों का निर्माण कर रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में प्रगति की चर्चा आगामी परिच्छेदों में की गई है:

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को 2000 में आरम्भ किया गया था तथा प्रत्येक बस्ती जिसकी जनसंख्या 1000 अथवा इससे अधिक है को सभी मौसमों में खुली रहने वाली सड़कों के साथ तीन वर्षों के भीतर अर्थात् वर्ष 2003 तक और 500 अथवा इससे अधिक लोगों की बस्तियों को दसवां पंचवर्षीय योजना के अन्त तक जोड़ने का लक्ष्य था।

इसको प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सम्बन्धित जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों द्वारा जिला ग्रामीण सड़क योजना को तैयार करना परिकल्पित है। तथापि, विभाग ने वर्ष 2005 के दौरान सड़क का खण्ड-वार कोर नेटवर्क तैयार किया था परन्तु जिले में समयबद्ध तरीके से सड़क परियोजनाओं के निर्माण हेतु जिला ग्रामीण सड़क योजना को तैयार करना सुनिश्चित नहीं किया था।

मार्च 2012 तक 1000 लोगों से अधिक जनसंख्या वाले 13 वास-स्थानों में से 12 वास-स्थानों में सड़क सम्पर्कता उपलब्ध करवाई गई थी। मार्च 2012 तक 500 से 1000 लोगों की जनसंख्या वाले 41 वास-स्थानों के मामले में सात वास-स्थानों में सड़क सम्पर्कता उपलब्ध करवाई जानी शेष थी। मार्च 2012 तक 500 लोगों से कम जनसंख्या वाले कुल 55 वास-स्थानों को सड़क सम्पर्कता उपलब्ध नहीं करवाई गई थी।

2007-12 के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा ₹ 21.97 करोड़ की निधियां उपलब्ध करवाई गईं। राज्य सरकार ने भी जिले में ग्रामीण सड़कों के निर्माणार्थ ₹ 62.95 करोड़ आवंटित किए। इनमें से क्रमशः ₹ 21.97 करोड़ तथा ₹ 62.92 करोड़ का व्यय किया गया था।

◆ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा राज्य सेक्टर के अंतर्गत किए गए ग्रामीण सड़क कार्यों की स्थिति

समीक्षा अवधि के दौरान जिले में शुरू किए गए सड़क कार्यों का विवरण तथा इनके निष्पादन की प्रगति को नीचे तालिका-17 में तालिकाबद्ध किया गया है:

तालिका-17

2007-12 के दौरान जिले में शुरू किए गए तथा पूर्ण किए गए सड़क कार्यों का विवरण

(₹ करोड़)

वर्ष	शुरू किए गए कार्य (संख्या में)		अनुमोदित लागत		मार्च 2012 तक पूर्ण किए गए कार्य (संख्या में)		पूर्ण किए गए कार्यों की लागत	
	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	राज्य सेक्टर	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	राज्य सेक्टर	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	राज्य सेक्टर	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	राज्य सेक्टर
31 मार्च 2007 तक प्रगतिरत कार्य	15	62	64.33	33.20	2	22	2.53	12.64
2007-08	--	12	--	10.48	--	1	--	0.17
2008-09	4	10	14.87	5.08	--	2	--	0.42
2009-10	--	8	--	7.29	--	1	--	0.11
2010-11	--	4	--	1.82	--	--	--	--
2011-12	--	5	--	4.28	--	--	--	--
कुल	19	101	79.20	62.15	2	26	2.53	13.34

स्रोत: विभागीय आंकड़े।

लेखापरीक्षा विश्लेषण से उद्घाटित हुआ कि 2007-12 के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा राज्य सेक्टर स्कीम के अन्तर्गत शुरू किए गए 120 कार्यों (पहले से प्रगतिशील 77 कार्यों सहित) में से मार्च 2012 तक केवल 28 कार्य (प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना: दो तथा राज्य सेक्टर: 26) पूर्ण किए गए थे, 72 कार्य अभी भी प्रगतिरत थे तथा शेष 14 कार्य भूमि विवाद, वन विभाग की अनुमति तथा ठेकेदारों द्वारा कार्य परित्याग आदि कारणों से रुके थे एवं शेष छ: कार्यों का निष्पादन मार्च 2012 तक शुरू नहीं किया गया था।

अधिशासी अभियंता ने विलम्ब का कारण सड़कों के संरेखण में भूमि विवाद, वन विभाग की अनुमति, ठेकेदारों द्वारा की गई देरी तथा अपर्याप्त निधियों को ठहराया (जून-अगस्त 2012)। उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि विभाग को कार्यों का निष्पादन शुरू करने से पूर्व सड़कों के निर्माण के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए थी। यह जिले के लोगों को समय पर सड़क सम्पर्कता उपलब्ध कराने के लिए उचित योजना सुनिश्चित करने में विभाग की विफलता को इंगित करता है।

5.2 अन्य विकासात्मक क्रियाकलापों हेतु स्कीमें

5.2.1 विकास में जन सहयोग

विकास में जन सहयोग स्कीम को शिक्षा हेतु सरकारी भवनों के निर्माण, ग्रामीण जलापूर्ति स्कीमें, ग्रामीण सड़कों, लघु सिंचाई स्कीमें, बहुउद्देशीय सामुदायिक केन्द्रों तथा अवसंरचना सुविधाओं जैसे विकासात्मक

क्रियाकलापों में सामुदायिक भागीदारी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य के साथ जनवरी 1993 में आरम्भ किया गया था। यह एक राज्य प्रायोजित स्कीम है, इसमें राज्य सरकार तथा उन क्षेत्रों के लोगों, जहां अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 50 प्रतिशत से अधिक हो, के मध्य निधियन अनुपात 85:15 है। पिछड़े क्षेत्रों में, जहां सामान्य वर्ग की जनसंख्या का प्रभुत्व है, निधियन अनुपात 75:25 तथा शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 50:50 है।

2007-12 के दौरान एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना के परियोजना अधिकारी द्वारा जिले में 48 विकासात्मक कार्यों के निष्पादन के लिए ₹ 5.30 करोड़ कार्यकारी अभिकरणों को जारी किए गए थे। यह देखा गया था कि कार्यकारी अभिकरणों को निधियां जारी करने के बाद कार्यों के पर्याप्त अनुश्रवण को सुनिश्चित करने के लिए कार्य की वास्तविक प्रगति तथा निधियों के प्रयोग के सम्बन्ध में किसी तरह के आवधिक प्रतिवेदन प्राप्त नहीं किए गए थे। एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना के परियोजना अधिकारी के अभिलेखों के अनुसार सभी कार्य अपूर्ण दिखाए गए थे। कार्यों के निष्पादन के किसी भी प्रगति प्रतिवेदन की अनुपस्थिति में वास्तविक प्रगति की तुलना में निधियों के वास्तविक प्रयोग की स्थिति, यदि कोई प्राप्त की गई, लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं की जा सकी।

उत्तर में एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना किन्नौर के अनुसंधान अधिकारी ने बताया (अगस्त 2012) कि प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा परियोजना सलाहकार समिति द्वारा इसकी आम बैठकों में की जा रही थी तथा तत्काल निर्देश जारी किए गए थे। यद्यपि कोई दस्तावेजी साक्ष्य उनके दावे के पक्ष में लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना किन्नौर के परियोजना अधिकारी ने अन्तिम सम्मेलन में बताया (नवम्बर 2012) कि उपयोगिता प्रमाण पत्र/ पूर्णता प्रमाण पत्र कार्यकारी अभिकरणों से प्राप्त किए जा चुके हैं तथा नवीनतम स्थिति की जानकारी पृथक रूप से दे दी जाएगी।

5.2.2 सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

जिला किन्नौर संसदीय क्षेत्र मंडी का एक भाग है तथा उपायुक्त मंडी उपरोक्त स्कीम के अंतर्गत निष्पादित होने वाले विकासात्मक कार्यों हेतु जिले को निस्तारण के लिए नोडल अधिकारी है। 2007-12 के दौरान किन्नौर उपायुक्त ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत संसदीय क्षेत्र विकास से सम्बन्धित कार्यों जैसे सामुदायिक केन्द्रों, महिला मण्डल भवन, सराय भवन एवं रज्जू मार्ग आदि के अनुमोदन तथा स्वीकृति के लिए मंडी उपायुक्त से ₹ 1.21 करोड़ प्राप्त किए। ₹ 1.31 करोड़ (₹ 0.10 करोड़ का अप्रयुक्त शेष तथा ब्याज सहित) की कुल उपलब्ध निधियों में से ₹ 1.29 करोड़ जिले में निष्पादन अभिकरणों को जारी किए गए थे तथा शेष ₹ 0.02 करोड़ अगस्त 2012 तक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी के पास अप्रयुक्त रह गए।

निष्पादन अभिकरणों को स्वीकृत एवं जारी किए गए ₹ 1.29 करोड़ के प्रति इनके द्वारा ₹ 0.34 करोड़ का व्यय किया गया तथा ₹ 0.95 करोड़ की शेष राशि अगस्त 2012 तक खण्ड विकास अधिकारी जैसे निष्पादन अभिकरणों के पास अप्रयुक्त पड़ी रही।

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी ने बताया (मई 2012) कि योजनाएं/ कार्य भूमि विवादों के कारण पूर्ण नहीं हो सके।

योजना निर्देशों के अनुसार कार्यालय/ आवासीय भवनों, सहकारिता तथा वाणिज्यिक संगठन से सम्बन्धित अन्य कार्यों का निर्माण, मरम्मत कार्यों तथा धार्मिक पूजा स्थलों के अन्दर कार्य प्रतिबन्धित है।

अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि ₹ 0.45 करोड़ की लागत वाले 11 कार्य जैसे क्लब हाऊस एवं धार्मिक पूजा स्थलों में कार्य स्वीकृत किए गए थे तथा 2007-12 के दौरान कार्यों के निष्पादन हेतु समग्र राशि उपरोक्त प्रावधानों के उल्लंघन में जारी की गई थी।

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी ने बताया (जून 2012) कि यह कार्य उपायुक्त मंडी द्वारा स्वीकृत किए गए थे तथा इस कार्यालय द्वारा केवल इन कार्यों के निष्पादन हेतु निष्पादन अभिकरणों को निधियां जारी की थी। लेकिन तथ्य यह है कि उपायुक्त मंडी द्वारा सम्बन्धित विधायक द्वारा अनुशंसित कार्यों की स्वीकार्यता को सत्यापित नहीं किया था तथा निषिद्ध कार्यों की स्वीकृति के साथ कार्रवाई की।

5.2.3 विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना

किनौर जिले में केवल एक विधायक (विधानसभा सदस्य) है। विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना के अंतर्गत 2007-12 के दौरान जिले में विकासात्मक कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए ₹ 25 लाख प्रतिवर्ष निस्तारित किए गए थे। स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य विधायक द्वारा अनुशंसित किए जाने हैं तथा आगे उपायुक्त से एक माह के अंदर इनकी स्वीकृति तथा स्वीकृति की तिथि से एक साल के अंदर निधियों का उपयोग एवं कार्य की पूर्णता सुनिश्चित करना अपेक्षित है।

2007-12 के दौरान स्कीम के अंतर्गत उपायुक्त ने ₹ 1.25 करोड़ प्राप्त किए तथा सामुदायिक केन्द्रों, महिला मण्डल भवन, प्रवाहित सिंचाई योजनाएं आदि जैसे 93 कार्यों के निष्पादन के लिए निष्पादन अभिकरणों को सम्पूर्ण राशि जारी की। इसमें से ₹ 1.06 करोड़ के 86 कार्यों को अगस्त 2012 तक अपूर्ण छोड़ते हुए ₹ 0.19 करोड़ मूल्य के मात्र सात कार्यों को पूर्ण किया गया।

एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना के अनुसंधान अधिकारी ने बताया (अगस्त 2012) कि न्यून/ सीमित कार्य अवधि के कारण अनुबंधित अवधि में कार्यों को पूर्ण नहीं किया जा सका। तथापि, तथ्य यह है कि कार्यों की स्वीकृति के समय कार्य की समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए कार्य अवधि के पहलु पर ध्यान नहीं दिया गया था।

अन्तिम सम्मेलन में किनौर के एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना के परियोजना अधिकारी ने बताया (नवम्बर 2012) कि निष्पादन अभिकरणों से उपयोगिता प्रमाण पत्र/ पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किए जा चुके हैं तथा नवीनतम स्थिति पृथक रूप से सूचित कर दी जाएगी।

5.2.4 मरुभूमि विकास कार्यक्रम

जिले में 1982-83 से सिर्फ एक शीत मरुभूमि खण्ड (पूर्व) में मरुभूमि विकास कार्यक्रम एक केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम कार्यन्वित हैं। भारत सरकार तथा राज्य सरकार के बीच लागत हिस्सेदारी 75:25 की है तथा कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए निधियां प्रत्यक्ष रूप से जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को निस्तारित की जाती है। कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य फसलों, मनुष्यों तथा पशुधन संख्या पर मरुभूमिता एवं प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों के प्रभावों को भूमि की क्षमता, स्थल की स्थिति तथा स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते

हुए मरुभूमि/ अवक्रमित भूमि को जल विभाजक आधार पर विकसित करते हुए कम करना तथा समाज के निर्धन एवं अलाभकारी वर्गों को आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार करना है। योजना के कार्यान्वयन में देखी गई कमियां नीचे दर्शाई गई हैं:

◆ निधियन प्राप्ति तथा निधियों का निस्तारण

मरुभूमि विकास कार्यक्रम एक केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम है तथा कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए निधियां ₹ 30 लाख प्रति परियोजना की दर से प्रत्यक्ष रूप से जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण को निस्तारित की जाती हैं। प्रत्येक परियोजना के कार्यान्वयन की अवधि भारत सरकार द्वारा स्वीकृति की तिथि से पांच वर्ष के लिए होती है तथा निधियां पांच किस्तों में जारी की जाती हैं (पहली एवं चौथी: प्रत्येक में 15 प्रतिशत; दूसरी एवं तीसरी: प्रत्येक में 30 प्रतिशत; और पांचवीं: परियोजना लागत का 10 प्रतिशत)।

◆ सापेक्ष योजना का न बनाना

निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, चालू परियोजना क्षेत्रों तथा एक चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाने वाली नई परियोजनाओं को निर्दिष्ट करते हुए 15 वर्षों से अधिक की अवधि में मरुभूमि क्षेत्र उपचार के लिए सापेक्षित योजना को बनाने के लिए अगस्त 2001 में जारी संशोधित कार्यक्रम दिशा-निर्देश उपलब्ध करवाए। यह देखा गया था कि कार्यक्रम के पर्याप्त कार्यान्वयन के लिए आवश्यक सापेक्ष योजना नहीं बनाई गई थी।

तथ्यों को स्वीकारते हुए परियोजना निदेशक ने बताया (जून 2012) कि परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए केवल वार्षिक कार्य योजनाएं ही बनाई गई थीं। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि परियोजनाओं को प्रभावशाली तरीके से कार्यान्वित करने के लिए लम्बी अवधि सापेक्ष योजना आवश्यक थी तथा कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न क्रियाकलापों के सम्पादन के लिए वार्षिक योजनाएं सापेक्ष योजना से प्रवाहित होनी थीं।

◆ वित्तीय परिव्यय एवं व्यय

2007-12 के दौरान मरुभूमि विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए उपलब्ध करवाई गई निधियां तथा किया गया व्यय निम्न तालिका-18 में दिया गया है:

तालिका-18

2007-12 के दौरान मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त निधियां तथा किए गए व्यय की स्थिति

(₹ करोड़)

वर्ष	अथवाए	जारी निधियां			निधियों की कुल उपलब्धता	व्यय	उपयोगिता में कमी
		केन्द्र अंश	राज्य अंश	ब्याज			
2007-08	2.52	2.84	0.73	0.07	6.16	3.08	3.08 (50)
2008-09	3.08	0.98	0.72	0.07	4.85	2.21	2.64 (54)
2009-10	2.64	---	---	0.09	2.73	1.80	0.93 (34)
2010-11	0.93	7.33	0.55	0.18	8.99	1.16	7.83 (87)
2011-12	7.83	---	1.00	0.24	9.07	3.43	5.64 (62)
	कुल	11.15	3.00			11.68	

स्रोत: विभागीय आंकड़े।

2007-12 के दौरान ₹ 0.93 करोड़ तथा ₹ 7.83 करोड़ के बीच की निधियों का प्रयोग नहीं किया गया था। 2007-12 के दौरान उपलब्ध निधियों के उपयोग में कमी का प्रतिशत 34 तथा 87 प्रतिशत के बीच था और कार्यक्रम के गैर-कार्यान्वयन के रूप में परिणत हुआ जैसा कि उत्तरोत्तर परिच्छेद में बताया गया है।

◆ भौतिक निष्पादन

2007-12 के दौरान, कार्यक्रम के अंतर्गत 52,425 हैक्टेयर क्षेत्र के उपचार का लक्ष्य था, जिसके प्रति केवल 15,839 हैक्टेयर का उपचार किया गया जो 36,586 हैक्टेयर (70 प्रतिशत) की न्यूनता के रूप में परिणत हुआ।

परियोजना निदेशक ने क्षेत्र के उपचार में न्यूनता हेतु सीमित कार्य अवधि को आरोपित किया (सितम्बर 2012)। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपरोक्त तथ्य को वार्षिक कार्य योजनाएं बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए था। यह भी दर्शाता है कि क्षेत्र में व्याप्त स्थलाकृति एवं मौसमीय परिस्थितियों को ध्यान में रखे बिना तदर्थ आधार पर वार्षिक योजनाएं बनाई गई थी।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए मरुभूमि विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन उचित नहीं था तथा राज्य सरकार द्वारा मरुभूमि क्षेत्र की कार्यक्रम गतिविधियों/ उपचार के प्रभाव मापने के लिए उपाय बैंचमार्क बनाने की आवश्यकता है।

5.2.5 सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम

किनौर जिले की सीमाएं चीन के साथ हैं। लगातार मांगों तथा जिले के सीमा क्षेत्र की सम्पूर्ण स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन दो खण्डों अर्थात् कल्पा एवं पूह में विस्तारित कर दिया (1998-99)। योजना का मूल उद्देश्य सीमा के निकट स्थित दूरस्थ तथा पहुंच से बाहर के क्षेत्रों में रह रहे लोगों की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। इस योजना के अंतर्गत फार्म क्षेत्र, सेवा क्षेत्र एवं संस्कृति तथा पर्यावरण के अनुरक्षण/ संरक्षण की पहचान उपक्रम क्षेत्रों के रूप में की गई है।

2007-12 के दौरान उपरोक्त योजना के अंतर्गत ₹ 45.24 करोड़ प्राप्त किए गए थे। एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना के परियोजना अधिकारी ने 247 विकासात्मक कार्यों के निष्पादन के लिए समग्र राशि निष्पादन अभिकरणों को जारी की तथा अन्तिम व्यय के रूप में दर्शाया। ₹ 15.81 करोड़ व्यय करने के बाद इनमें से 90 कार्य पूर्ण किए गए। जबकि ₹ 9.99 करोड़ की लागत के 65 कार्यों का निष्पादन नहीं शुरू हुआ था, अगस्त 2012 तक ₹ 19.44 करोड़ के लागत के 92 कार्य अभी भी प्रगति पर थे तथा अपने पूर्ण होने के नियत समय से 12 से लेकर 36 महीनों से पिछड़ रहे थे। 65 कार्यों के शुरू न होने के कारण अभिलेख में उपलब्ध नहीं थे।

एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना के अनुसंधान अधिकारी ने बताया (अगस्त 2012) कि कम/ सीमित कार्य अवधि के कारण कार्य पूर्ण नहीं किए जा सके। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इन कार्यों को स्वीकृत करने से पूर्व कार्य अवधि की लम्बाई को ध्यान में रखना चाहिए था।

किनौर के एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना के परियोजना अधिकारी ने अन्तिम सम्मेलन में बताया (नवम्बर 2012) कि निष्पादन अभिकरणों से उपयोगिता प्रमाण पत्रों को प्राप्त किया जा चुका है तथा नवीनतम स्थिति से पृथक रूप से अवगत करवा दिया जाएगा।

5.2.6 केन्द्र बजट योजना

राज्य सरकार स्थानीय महत्व की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्रति वर्ष ₹ 30 लाख का केन्द्र बजट उपायुक्त को उपलब्ध करवाती है। केन्द्र बजट में से स्वीकृत योजनाओं का 18 महीनों की अवधि में पूर्ण होना अपेक्षित हैं तथा संस्वीकृति देने वाले प्राधिकारी द्वारा राज्य सरकार को खर्च की गई राशि के समर्थन में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

2007-12 के दौरान उपायुक्त ने इस योजना के अंतर्गत ₹ 1.50 करोड़ प्राप्त किये तथा सम्पूर्ण राशि को खेलों, सांस्कृतिक एवं ग्रामीण सम्पर्कता आदि से सम्बन्धित 260 कार्यों के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न अभिकरणों को जारी किया। इनमें से 228 कार्य सितम्बर 2012 तक पूर्ण होने थे। यह देखा गया था कि ₹ 0.53 करोड़ व्यय करने के बाद केवल 94 कार्य पूर्ण किए गए तथा शेष 134 कार्य अभी भी अपूर्ण पड़े थे। इन कार्यों के पूर्ण होने में लगी देरी 18 से लेकर 36 महीनों तक की थी।

एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना के अनुसंधान अधिकारी ने बताया (अगस्त 2012) कि न्यून/ सीमित कार्य अवधि के कारण कार्यों को अनुबंधित अवधि में पूर्ण नहीं किया जा सका।

किनौर के एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना के परियोजना अधिकारी ने अन्तिम सम्मेलन में बताया (नवम्बर 2012) कि निष्पादन अभिकरणों से उपयोगिता प्रमाण पत्रों/ पूर्णता प्रमाण पत्रों को प्राप्त किया जा चुका है तथा नवीनतम स्थिति के बारे में पृथक रूप से अवगत करवा दिया जाएगा।

सिफारिशें

सरकार यह विचार करें:

- एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना का अधिकारियों द्वारा आवधिक निरीक्षण का संचालन करना तथा निष्पादन अभिकरणों से प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त करना।
- सरकारी धन के अनावश्यक अवरोधन को रोकने के लिए निष्पादन अभिकरणों के पास लम्बित कार्यों को पूर्ण करने के लिए ठोस कदम उठाना।

5.3 रोजगार सूजन

भारत सरकार तथा राज्य सरकार ने निर्धनता, बेरोजगारी तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में प्रगति की धीमी गति की समस्याओं पर काबू पाने के लिए बहुत से कदम उठाए हैं। इसके अतिरिक्त, समाज के विशेषकर गरीब व असुरक्षित कार्यों को खाद्य सुरक्षा के प्रावधान को अर्थव्यवस्था के अन्तर्भूत विकास के महत्वपूर्ण घटकों में से एक माना गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी कम करने की दृष्टि से रोजगार जुटाने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित दो अत्यन्त महत्वपूर्ण स्कीमें सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना तथा स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना हैं। जिले में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के कार्यान्वयन को बाद में अप्रैल 2008 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम में शामिल किया गया। हालांकि, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा 2008-09 तक मार्च 2008 तक भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई निधियों से चालू कार्यों पर व्यय जारी रखा। स्कीमों के कार्यान्वयन पर देखी गई कमियां नीचे दर्शाई गई हैं:

5.3.1 सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का उद्देश्य ग्रामीण निर्धन लोगों, जो जरूरतमंद तथा अपने गांवों में व गांव के चारों ओर हस्त व अकुशल कार्य करने के लिए इच्छुक हों, को अतिरिक्त मजदूरी रोजगार जुटाना और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी सामुदायिक, सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों और अवसंरचना का सृजन करना था। इस उद्देश्य के लिए ग्राम पंचायतों को खण्ड विकास अधिकारियों के माध्यम से जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को कार्य प्रस्तावों को प्रस्तुत करना था, जो वर्ष के आरम्भ में अनुमोदित किए जाने वाले कार्यों के व्यापक शेल्फ पर आधारित हो।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि स्कीमें तदर्थ आधार पर उपायुक्त द्वारा स्वीकृत की गई थी क्योंकि ग्राम पंचायतों तथा खण्डों ने कोई सापेक्ष योजना नहीं बनाई थी। परिणामतः, कार्यों को योजनाबद्ध तथा समन्वित ढंग के बजाए अनुभूत आवश्यकता के आधार पर प्रस्तावित किया गया था जिसके परिणामस्वरूप कार्यों के निष्पादन में अतिव्याप्ति हुई और उपलब्ध निधियों की अवप्रयुक्ति हुई। इसके अतिरिक्त, जिला/ जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के स्तर पर विभिन्न खण्डों तथा ग्राम पंचायतों में आरम्भ किए गये विकासात्मक कार्यों के विवरण का कोई डाटाबेस नहीं था।

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 75:25 के आधार पर निधियन किया गया था। 2007-09 (मार्च 2009 तक) के दौरान जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जिला किनौर द्वारा प्राप्त निधियों तथा उनकी प्रयुक्ति से सम्बन्धित वर्षवार स्थिति नीचे तालिका-19 में दी गई है:

तालिका-19

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत प्राप्त निधियों तथा किए गए व्यय की स्थिति

(₹ करोड़)

वर्ष	अथशेष	प्राप्त निधियां			कुल	प्रयुक्त निधियां	अप्रयुक्त निधियां (प्रतिशतता)
		केन्द्र	राज्य	अन्य विविध प्राप्तियां			
2007-08	1.04	1.98	0.66	0.46	4.14	2.38	1.76 (43)
2008-09	1.76	--	--	0.09	1.85	1.12	0.73 (39)

स्रोत: विभागीय आंकड़े। कोष्ठक में दिये गये आंकड़े प्रतिशतता को इंगित करते हैं।

दो नमूना खण्डों (पूह एवं निचार) द्वारा इस अवधि के दौरान प्राप्त तथा व्ययित निधियों का विवरण निम्न तालिका-20 में दिया गया है:

तालिका-20

नमूना खण्डों में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत प्राप्त निधियों एवं किए गए व्यय की स्थिति का विवरण

(₹ लाख)

वर्ष	अथशेष	प्राप्त निधियां	अन्य प्राप्तियां	कुल	प्रयुक्त निधियां	अप्रयुक्त निधियां प्रतिशत
2007-08	29.38	121.71	0.97	152.06	109.16	42.90 (28)
2008-09	42.90	23.50	6.16	72.56	67.57	4.99 (7)

स्रोत: विभागीय आंकड़े। कोष्ठक में दिये गये आंकड़े प्रतिशतता को इंगित करते हैं।

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना में विलय होने के बाद 2009-10 के दौरान ₹ 0.73 करोड़ की अव्ययित राशि में से केवल ₹ 0.14 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई थी। ₹ 0.59 करोड़ की शेष अव्ययित राशि न तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना को हस्तांतरित की गई थी, न ही उपरोक्त राशि को उपयोगिता का विवरण जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के

परियोजना अधिकारी के पास उपलब्ध था। अतः, निधियों के प्रयोग के किसी भी तरह के अभिलेख की अनुपस्थिति में धन के दुर्विनियोजन की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण के परियोजना अधिकारी ने तथ्यों को स्वीकारा तथा बताया (अक्टूबर 2012) कि उपरोक्त राशि का विवरण सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों/ ग्राम पंचायतों से प्राप्त किया जाएगा। तथापि, तथ्य यह है कि परियोजना अधिकारी योजना के अंतर्गत खण्ड विकास अधिकारी द्वारा किए जा रहे व्यय पर पर्याप्त जांच रखने में विफल रहा तथा सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना में विलय होने के तीन से भी अधिक वर्षों की अवधि तक उपरोक्त विसंगति का समाधान नहीं कर पाया।

◆ सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार के अंतर्गत रोजगार सृजन

2007-09 के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत सृजित रोजगार का विवरण, जैसा कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा भारत सरकार को सूचित किया गया है, निम्न तालिका-21 में दिया गया है:

तालिका-21

2007-09 के दौरान सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत सृजित रोजगार का विवरण

(श्रम दिवस लाख में)

वर्ष	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए श्रम दिवस	महिलाओं के लिए श्रम दिवस	कुल सृजित श्रम दिवस
2007-08	1.16	0.29 (25)	1.16
2008-09	0.67	0.12 (18)	0.67
कुल	1.83	0.41 (22)	1.83

स्रोत: विभागीय आंकड़े। कोष्ठक में दिये गये आंकड़े प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

टिप्पणी: किनौर जनजातीय क्षेत्र होने के कारण यहां पर सामान्य वर्ग के कोई लाभार्थी नहीं थे।

रोजगार सृजन से सम्बन्धित कोई वार्षिक लक्ष्य नहीं थे यद्यपि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण ने रोजगार सृजन हेतु पक्का मार्ग, सामुदायिक भवन एवं सिंचाई कूहले आदि के निर्माण जैसे लघु कार्यों के निष्पादनार्थ योजना बनाई थी। अतः लक्ष्यों की तुलना में सृजित रोजगार की सीमा को अभिनिश्चित नहीं किया जा सका। जिले में 2007-08 के दौरान स्वीकृत सभी 231 कार्य ₹ 1.41 करोड़ व्यय होने के बाद पूरे हो गए थे। दो नमूना-जांचित खण्डों में रोजगार सृजन से सम्बन्धित स्थिति निम्न तालिका-22 में दी गई है:

तालिका-22

2007-09 के दौरान सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत प्रतिदर्श खण्डों में सृजित किए गए रोजगार का विवरण

(श्रम दिवस लाख में)

वर्ष	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए श्रम दिवस	महिलाओं के लिए श्रम दिवस	कुल उत्सर्जित श्रम दिवस
2007-08	0.52	0.19 (37)	0.52
2008-09	0.37	0.12 (32)	0.37
कुल	0.89	0.31 (35)	0.89

स्रोत: नमूना-जांचित खण्डों के खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा उपलब्ध करवाए गए आंकड़े। कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

सृजित रोजगार का 30 प्रतिशत महिला लाभार्थियों के लिए होना चाहिए था, जबकि जिला में 1.83 लाख सृजित श्रम दिवसों में से महिलाओं हेतु केवल 0.41 लाख (22 प्रतिशत) श्रम दिवस जिला ग्रामीण विकास अभिकरण ने प्रतिवेदित किए।

¹ पहाड़ी क्षेत्रों में एक लघु खुला सिंचाई जलमार्ग।

परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण ने बताया (जून-अगस्त 2012) कि महिला लाभार्थियों द्वारा रोजगार न लेने के कारण, कुल 30 प्रतिशत महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका था।

5.3.2 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम, 2005 को अप्रैल 2008 से जिले में कार्यान्वित किया जा रहा है। अधिनियम का मूल उद्देश्य कम से कम 100 दिन का गारण्टीकृत मजदूरी रोजगार उपलब्ध करवाकर ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम के अन्तर्गत दक्ष तथा अर्ध-दक्ष मजदूरों की मजदूरी तथा सामग्री की लागत को भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में शेयर किया जाता है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार बेरोजगारी भत्ता तथा राज्य रोजगार गारण्टी परिषद् के प्रशासनिक खर्चों को वहन करती है। 2008-12 के दौरान जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, किनौर द्वारा प्राप्त निधियों तथा उसके प्रति प्रयुक्ति की वर्षवार स्थिति नीचे तालिका-23 में दी गई है:

तालिका-23

2008-12 के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत प्राप्त निधियों तथा किए गए व्यय की स्थिति

(₹ करोड़)

वर्ष	अथशेष	प्राप्त निधियां		कुल उपलब्ध निधियां	प्रयुक्त निधियां	वर्ष के अंत में अप्रयुक्त निधियां
		भारत सरकार	राज्य सरकार (व्याज तथा अन्य प्राप्तियों सहित)			
2008-09	---	3.18	0.36	3.54	3.37	0.17 (05)
2009-10	0.17	4.97	0.73*	5.87	4.50	1.37 (23)
2010-11	1.37	4.60	0.54	6.51	4.55	1.96 (30)
2011-12	1.96	5.15	0.11	7.22	5.82	1.40 (19)
कुल		17.90	1.74		18.24	

स्रोत: विभागीय आंकड़े।

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रतिशतता को इंगित करते हैं।

* सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना से हस्तांतरित ₹ 13.81 लाख सम्मिलित है।

◆ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के कार्यान्वयन के लिए योजना

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम के परिचालन दिशा-निर्देश जिले में अग्रिम योजना को सुकर बनाने तथा दीर्घावधि रोजगार सृजन को सुनिश्चित करने के लिए पंचवर्षीय जिला सापेक्ष योजना को तैयार करने के लिए निर्धारित हैं। वर्ष में प्राथमिकता के आधार पर किए जाने वाले क्रियाकलापों को चिन्हित करने के लिए वार्षिक योजनाओं को भी तैयार किया जाना अपेक्षित है।

लेखापरीक्षा संबीक्षा से उद्घाटित हुआ कि किनौर जिले में जिला सापेक्ष योजना को तैयार नहीं किया गया था। जिला सापेक्ष योजना की अनुपस्थिति में दीर्घकालीन रोजगार सृजन तथा सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए जिले में निष्पादित किए जाने वाले कार्यों को चिन्हित नहीं किया गया था। यद्यपि जिले में 2008-12 के दौरान वार्षिक योजनाओं को तैयार किया गया था परन्तु वार्षिक योजनाओं की उपेक्षा करते हुए कार्यों को अंशतः अनुमोदित किया गया तथा 1937 कार्यों के निष्पादन पर ₹ 17.05 करोड़ खर्च किए गए। इसके परिणामस्वरूप तदर्थ आधार पर कार्यों का अनियोजित निष्पादन हुआ।

परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण ने बताया (मई 2012) कि योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राम सभा द्वारा कार्यों को अनुमोदित किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ग्राम सभा को अनुमोदित वार्षिक योजनाओं का अनुपालन करना चाहिए था जैसा कि दिशा-निर्देशों के अंतर्गत अपेक्षित है।

इस अवधि के दौरान दो नमूना खण्डों द्वारा प्राप्त निधियों तथा किए गए व्यय का विवरण निम्न तालिका-24 में दर्शाया गया है:

तालिका-24

2008-12 के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अंतर्गत प्रतिदर्श खण्डों में प्राप्त निधियों तथा किए गए व्यय की स्थिति

(₹ करोड़)

वर्ष	अथशेष	प्राप्त निधियां	अन्य विविध प्राप्तियां	कुल	प्रयुक्त निधियां	अप्रयुक्त शेष (प्रतिशत)
2008-09	शून्य	2.22	0.03	2.25	2.03	0.22 (10)
2009-10	0.22	3.16	0.03	3.41	3.20	0.21 (06)
2010-11	0.21	3.16	0.06	3.43	2.86	0.57 (17)
2011-12	0.57	3.20	0.05	3.82	3.54	0.28 (07)

स्रोत: विभागीय आंकड़े।

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

नमूना खण्डों (निचार एवं पूर्व) के खण्ड विकास अधिकारियों ने बताया (जून-जुलाई 2012) कि सीमित कार्य अवधि होने के कारण निधियों का कम प्रयोग हुआ था।

उत्तर विश्वसनीय नहीं है क्योंकि स्कीम के कार्यान्वयन के लिए योजना कार्य अवधि को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए थी।

♦ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अंतर्गत रोजगार सृजन

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा भारत सरकार को प्रतिवेदित आंकड़ों के अनुसार 2008-12 के दौरान इस स्कीम के अन्तर्गत सृजित रोजगार का विवरण निम्न तालिका-25 में दर्शाया गया है:

तालिका-25

2008-12 के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अंतर्गत रोजगार सृजन का विवरण
(श्रम दिवस लाख में)

वर्ष	कुल सृजित श्रम दिवस	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए श्रम दिवस (पुरुष)	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए श्रम दिवस (महिलाएं)
2008-09	1.68	0.64	1.04
2009-10	2.28	0.96	1.32
2010-11	2.17	0.85	1.32
2011-12	2.70	0.71	1.99

स्रोत: जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, किनौर द्वारा उपलब्ध करवाया गया डाटा।

टिप्पणी: सम्पूर्ण जिला जनजातीय क्षेत्र के वर्ग में है इसलिए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए श्रम दिवस दर्शाएं गए हैं।

² निचार स्थित भावानगर एवं पूर्व।

2008-12 के दौरान महिलाओं को उपलब्ध करवाए गए रोजगार की स्थिति संतोषजनक थी। जिला प्रशासन द्वारा सभी लाभार्थियों को जिन्होंने स्कीम के अंतर्गत रोजगार की मांग की, को 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध करवाया गया।

◆ उपस्थिति नामावलियाँ

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम के दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार अद्वितीय पहचान संख्या सहित निर्धारित फॉर्मेट में उपस्थिति नामावलियों को ग्राम पंचायतों/ निष्पादन अभिकरणों को खण्डों के कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा जारी किया जाना होता है। उपस्थिति नामावलियों को ग्राम पंचायतों तथा अन्य निष्पादन अभिकरणों द्वारा निर्धारित रीति से अनुरक्षित किया जाना भी अपेक्षित है।

20 नमूना-जांचित ग्राम पंचायतों में यह देखा गया कि उपस्थिति नामावलियों को निर्धारित रीति से अनुरक्षित नहीं किया जा रहा था तथा उपस्थिति नामावलियों से मशीनी क्रमांकित न किया जाना, निरीक्षण किए गए कार्यों के संकेत में उपस्थिति नामावलियों में निरीक्षण अधिकारियों के हस्ताक्षर अभिलेखित नहीं किया जाना, कार्यों के मूल्य की तुलना में किए गए कार्यों का विवरण कार्यकारी अभिकरणों द्वारा अभिलेखित न होना आदि कमियां थीं।

सम्बन्धित खण्डों के खण्ड विकास अधिकारियों ने तथ्यों को स्वीकारते हुए बताया (जून-जुलाई 2012) कि भविष्य में इस तरह की कमियां नहीं दोहराई जाएंगी तथा सभी सम्बन्धित अधिकारियों/ कर्मचारियों को उपस्थिति नामावली निर्धारित तरीके से हस्ताक्षर/ तैयार करने के निर्देश दिए जा चुके थे।

◆ मजदूरी का भुगतान

मजदूरी का वितरण साप्ताहिक आधार पर अथवा किसी मामले में कार्य समाप्त होने की तिथि के पन्द्रह दिन के अन्दर किया जाना अपेक्षित है। पन्द्रह दिनों से अधिक का विलम्ब होने पर मजदूरी अधिनियम, 1936 के भुगतान के प्रावधानों के अनुसार मजदूर क्षतिपूर्ति के हकदार हैं जिसे राज्य सरकार द्वारा वहन करना होगा।

दो नमूना खण्डों में लेखापरीक्षा में देखा गया कि 2008-12 के दौरान 1951 उपस्थिति नामावलियों पर नियुक्त कामगारों को पाक्षिक आधार पर मजदूरी ($\text{₹ } 4.16$ करोड़) का भुगतान नहीं किया गया था तथा भुगतान में विलम्ब एक से लेकर 30 दिनों तक था। इन कामगारों को भुगतान योग्य क्षतिपूर्ति की न तो गणना गई और न ही इन कामगारों को भुगतान किया गया।

पूर्व खण्ड के खण्ड विकास अधिकारी ने बताया (जुलाई 2012) कि तकनीकी कर्मचारियों की कमी के कारण मजदूरियों का समयबद्ध भुगतान नहीं किया जा सका। खण्ड विकास अधिकारी, निचार ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया था।

◆ विनिर्देशों के विपरीत सड़कों का निर्माण

दिशा-निर्देशों के अनुसार गांव क्षेत्र के अंदर सभी मौसमों में पहुंच वाली ग्रामीण सम्पर्कता उपलब्ध करवाई जानी थी। नमूना-जांच किए गए दो³ खण्डों में 2008-12 के दौरान ऊपरी सतह का स्थायीकरण तथा नालियों एवं पुलियों के लिए पर्याप्त प्रावधान किए बिना ही $\text{₹ } 30.18$ लाख की लागत से कच्ची सड़कों के नौ कार्यों को निष्पादित किया गया। इसके कारण इन सड़कों को वर्ष की सभी ऋतुओं विशेषकर वर्षा ऋतु में खुला रखना सम्भव नहीं था जैसा कि निम्नवर्त छायाचित्रों से स्पष्ट है:

³ निचार स्थित भावानगर एवं पूर्व।

छायाचित्र: 1



ग्राम वासनिज से बड़ी को जाने वाली सम्पर्क सड़क
(अगस्त 2012)

छायाचित्र: 2



ग्राम पंचायत मूरांग को जाने वाली सम्पर्क सड़क
(जून 2012)

सम्बन्धित खण्डों के खण्ड विकास अधिकारियों ने तथ्यों को स्वीकारते हुए बताया (मई-जुलाई 2012) कि सड़कों का निकास कार्य बहुत जल्दी शुरू होगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अंतर्गत परिसम्पत्तियों के उचित सृजन करने के लिए निम्नतम निर्धारित विनिर्देशन का अनुसरण किया जाना चाहिए था।

◆ कार्यों का निरीक्षण एवं अनुश्रवण

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के प्रचालन दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य, जिला तथा खण्ड स्तर के अधिकारी प्रत्येक वर्ष कार्यों के क्रमशः दो, 10 तथा 100 प्रतिशत का निरीक्षण करेंगे तथा ग्राम सभा के प्रतिवेदनों की संवीक्षा के लिए जिला आन्तरिक लेखापरीक्षा कक्षों का गठन किया जाएगा।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि 2008-12 के दौरान किनौर जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अंतर्गत निष्पादित किए गए 1937 कार्यों में 39 कार्यों के अपेक्षित निरीक्षण के प्रति राज्य स्तर के अधिकारियों द्वारा केवल 18 कार्यों का निरीक्षण किया गया। संयुक्त सचिव (ग्रामीण विकास विभाग) हिमाचल प्रदेश सरकार ने बताया (अगस्त 2012) कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अंतर्गत एक बड़ी संख्या में कार्यों का निष्पादन होने के कारण कुल कार्यों के दो प्रतिशत का निरीक्षण करना सम्भव नहीं था। उत्तर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के प्रावधानों के उल्लंघन में है।

जिला व खण्ड स्तर के अधिकारियों द्वारा कार्यों के निरीक्षण से सम्बन्धित स्थिति को भी लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका क्योंकि उनके द्वारा किए गए कार्यों के निरीक्षण, यदि संचालित किए गए थे, के प्रमाण में कोई निरीक्षण टिप्पणियां अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थी। इसके अतिरिक्त, ग्राम सभाओं के प्रतिवेदनों की संवीक्षा करने के लिए जुलाई 2012 तक जिला स्तरीय आंतरिक लेखापरीक्षा कक्ष स्थापित नहीं किया गया था।

परियोजना अधिकारी ने बताया (जुलाई 2012) कि अत्यधिक कार्य दबाव के कारण अपेक्षित निरीक्षण टिप्पणियां तैयार नहीं की जा सकी थीं। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के कार्यान्वयन पर अनुश्रवण व सूचना हेतु सांविधिक प्रावधान के दृष्टिकोण से निरीक्षण टिप्पणियां तैयार करना अनिवार्य था।

सिफारिश

सरकार विचार करे:

- परियोजनाओं के दीर्घावधि शेल्फ जिला सापेक्ष योजना को तैयार करना और आंतरिक लेखापरीक्षा कक्ष स्थापित करना जैसा कि स्कीम के अंतर्गत अपेक्षित है।

5.3.3 स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना वर्ष 1999-2000 से राज्य में स्वरोजगार के सभी पहलुओं जैसे गरीबों का स्वयं सहायता समूहों में संगठन, प्रशिक्षण उपलब्ध कराना, ऋण, प्रौद्योगिकी, अवसंरचना तथा विपणन सुविधाओं को आवृत्त करते हुए एक सम्पूर्ण कार्यक्रम को आरंभ किया गया। स्कीम का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लघु उद्योगों को स्थापित करना, ग्रामीण निर्धनों की संभाव्य को बनाना तथा यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक परिवार की मासिक निवल आय कम से कम ₹ 2000 है, सहायता प्राप्त गरीब परिवारों (स्वरोजगारियों) को तीन वर्षों में गरीबी रेखा से ऊपर लाना है।

◆ वित्तीय परिव्यय एवं व्यय

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को केन्द्र तथा राज्य द्वारा 75:25 के अनुपात में निधियन किया गया। भारत सरकार द्वारा स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत विशेष परियोजनाओं के लिए कुल स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आवंटन में से पन्द्रह प्रतिशत निधियां अलग रखी गई थीं। भारत सरकार द्वारा क्रेडिट गतिशीलता (बैंक क्रेडिट तथा सरकारी उपदान) की शर्तों के अनुसार वित्तीय लक्ष्य भी निर्धारित किए गये थे। राज्य को केन्द्रीय निधियों का आवंटन राज्य में व्याप्त गरीबी के आधार पर किया गया था। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को निधियों का निस्तारण सीधे भारत सरकार/ राज्य सरकार के द्वारा किया गया था।

2007-12 के दौरान भारत सरकार तथा राज्य द्वारा निस्तारित निधियों तथा उनके प्रति किए गए व्यय की वर्षवार स्थिति नीचे तालिका-26 में दी गई है:

तालिका-26

2007-12 के दौरान स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत प्राप्त निधियों तथा किए गए व्यय की स्थिति
(₹ लाख)

वर्ष	अथ शेष	प्राप्त निधियां		अन्य प्राप्तियां	कुल उपलब्ध निधियां	व्यय	अन्त शेष
		केन्द्र	राज्य				
2007-08	2.74	6.95	2.31	1.34	13.34	9.84	3.50
2008-09	3.50	10.03	3.35	2.77	19.65	12.82	6.83
2009-10	6.83	6.73	2.05	2.40	18.01	16.40	1.61
2010-11	1.61	11.13	3.90	0.46	17.10	15.17	1.93
2011-12	1.93	10.14	3.39	2.27	17.73	13.78	3.95
कुल		44.98	15.00	9.24		68.01	

स्रोत: जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, किनौर द्वारा आपूरित आंकड़े।

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार आवंटित निधियां विभिन्न क्रियाकलापों जैसे आर्थिक क्रियाकलापों पर उपदान (60 प्रतिशत), अवसंरचना का निर्माण (20 प्रतिशत), दक्ष विकास के लिए स्वरोजगारियों को प्रशिक्षण (10 प्रतिशत), स्वयं सहायता समूहों को समर्थ बनाने हेतु आवर्ती निधि का सृजन (10 प्रतिशत) पर प्रयुक्त की जानी थी।

लेखापरीक्षा संबीक्षा से उद्घाटित हुआ कि 2007-12 के दौरान उपरोक्त क्रियाकलापों पर व्यय निर्धारित मानकों के अनुसार नियंत्रित नहीं किया गया था क्योंकि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण ने मुख्यतः आर्थिक क्रियाकलापों के लिए उपदान उपलब्ध कराने में सकेन्द्रित किया तथा इन क्रियाकलापों पर 73 प्रतिशत निधियों को प्रयुक्त किया। प्रशिक्षण, अवसंरचना निर्माण तथा आवर्ती निधि के सृजन पर प्रयुक्त निधियों की प्रतिशतता क्रमशः एक, 17 तथा नौ थी। इस प्रकार, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण स्वरोजगारियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं, अवसंरचना निर्माण तथा स्वयं सहायता समूहों को समर्थ बनाने में अन्तरालों को पूरा करना सुनिश्चित नहीं कर पाया था।

परियोजना अधिकारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण ने बताया (मई 2012) कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत निधियां खण्ड विकास अधिकारियों को नियमित रूप से निस्तारित की गई। स्वयं सहायता समूहों और व्यक्तियों को प्रशिक्षण खण्ड स्तर पर दिया जाना था। उन्होंने आगे बताया कि इस सम्बन्ध में खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए जाएंगे।

लेखापरीक्षा संबीक्षा से आगे उद्घाटित हुआ कि जिले में स्कीम के आरंभ होने के समय से 188 स्वयं सहायता समूह बनाए गए थे। जिले में जून 2012 तक इनमें से केवल 141 स्वयं सहायता समूह कार्य कर रहे थे। नमूना-जांच किए गए खण्डों में स्कीम के आरंभ से गठित 114 स्वयं सहायता समूहों में से जून 2012 तक केवल 79 स्वयं सहायता समूह कार्य कर रहे थे। परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी ने बताया (जून 2012) कि कुछ समूह बैंक ऋणों पर दोषी होने तथा अधिकतर स्वयं सहायता समूहों के निष्क्रिय होने के कारण सभी स्वयं सहायता समूह कार्य नहीं कर रहे थे। तथापि, तथ्य यह है कि विभाग ने इन स्वयं सहायता समूहों की गतिविधियों को फिर से चालू नहीं किया था।

◆ विशेष परियोजना

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ग्रामीण कारोगरों को बाजार पहुंच उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से भारत सरकार ने स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ₹ 45 लाख मूल्य पर तीन⁴ गांव हाटों के निर्माण हेतु एक विशेष परियोजना अनुमोदित की (मार्च 2009)। लागत को भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में बांटा जाना था। भारत सरकार ने इसके अंश ₹ 33.75 लाख के प्रति 2008-10 के दौरान ₹ 21.88 लाख दो किस्तों में 2008-09 (₹ पांच लाख) और 2009-10 (₹ 16.88 लाख) निस्तारित किए। राज्य सरकार ने इसके अंश ₹ 11.25 लाख के प्रति 2009-10 में मात्र ₹ 5.62 लाख निस्तारित किए। गांव हाटों का निर्माण एक वर्ष की अवधि के अंदर पूर्ण करना अनुबद्ध था।

लेखापरीक्षा से उद्घाटित हुआ कि परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण ने उपरोक्त वर्षों में कल्पा, निचार और पूह खण्डों के खण्ड विकास अधिकारियों को इन खण्डों में प्रत्येक में एक गांव हाट के निर्माण हेतु ₹ 27.50 लाख की पूरी राशि आगे निस्तारित की। पूह में गांव हाट का निर्माण भूमि की अनुपलब्धता के कारण आरम्भ नहीं हुआ। शेष दो मामलों में ₹ 22 लाख का व्यय किए जाने के बावजूद निर्माण अपूर्ण था। भावानगर स्थित अपूर्ण गांव हाट का चित्र नीचे दिया गया है:

⁴ निचार स्थित भावानगर, पूह और सांगला।

छायाचित्र: 3



भावानगर स्थित अपूर्ण गांव हाट का छायाचित्र (जुलाई 2012)

परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण ने बताया (जुलाई 2012) कि दो मामलों में सीमित कार्य अवधि और अकुशल/ कुशल श्रमिकों की अनुपलब्धता के कारण कार्य पूर्ण नहीं किए जा सके। इसके अतिरिक्त उन्होंने बताया कि पूह स्थित गांव हाट के सम्बन्ध में भूमि हस्तांतरित नहीं की गई थी। उत्तर लक्षित लाभार्थियों हेतु बाजार सुविधा सुनिश्चित करने हेतु विशेष परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अपर्याप्त योजना को दर्शाता है।

5.4 ऊर्जा

मार्च 2005 तक जिले में 234 गांवों में से 193 गांवों (82 प्रतिशत) का विद्युतीकरण किया जा चुका था। राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के माध्यम से शेष गांवों के विद्युतीकरण हेतु योजनाएं बनाई थीं।

भारत सरकार द्वारा मार्च 2005 में पांच वर्षों की अवधि के भीतर सभी ग्रामीण घरों को विद्युत उपलब्ध करवाने हेतु राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को आरम्भ किया गया। इस स्कीम के कार्यान्वयन हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण निगम एक नोडल एजेंसी है जिसका लक्ष्य समग्र ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन तथा गरीबी उन्मूलन करना है। स्कीम का कार्यान्वयन भारत सरकार से 90 प्रतिशत निधियन के साथ किया जाना है। गरीबी रेखा से नीचे वाले घरों के विद्युतीकरण का वित्तीय प्रबन्ध 100 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाना है।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (बोर्ड) ने नवम्बर 2005 में किनौर जिले के लिए 40 विद्युतिविहीन गांवों का विद्युतीकरण ; 38 गरीबी रेखा से नीचे वाले घरों सहित विद्युतित गांवों में 1,113 विद्युतिविहीन घरों का विद्युतीकरण; खण्डों में नए उप-स्टेशनों/ पारेषण लाइनों, जहां ये विद्यमान नहीं हैं का प्रावधान तथा विद्युतित गांवों में ट्रांसफॉर्मरों का वितरण; तथा विद्युत का उत्पादन, वितरण तथा आपूर्ति का विकेन्द्रीकरण लक्ष्य सहित एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को तैयार किया।

लेखापरीक्षा संबीक्षा से उद्घाटित हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युतीकरण के लिए बोर्ड की उपरोक्त योजनाएं फलीभूत नहीं हुई क्योंकि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, नई दिल्ली को संस्थीकृति हेतु नवम्बर 2005 अर्थात् संस्थीकृति की तिथि (मार्च 2005) से सात महीनों के विलम्ब के पश्चात् भेजी गयी थी। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने बोर्ड द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के प्रस्तुत करने की तिथि (नवम्बर 2005) से दो वर्ष तथा नौ महीने व्यतीत हो जाने के पश्चात् सितम्बर 2008 में ₹ 8.29 करोड़ का

परियोजना प्रस्ताव अनुमोदित किया। तत्पश्चात्, अन्तिम रूप दी गई निविदा लागत (₹ 12.59 करोड़) के आधार पर परियोजना लागत को पुनः संशोधित किया गया तथा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा ₹ 13.72 करोड़ के लिए संस्वीकृत करवाया गया (जून 2009)। लेखापरीक्षा संवीक्षा से आगे उद्धाटित हुआ कि जून 2012 तक 40 गांवों के विद्युतीकरण के प्रक्षेपण के प्रति 31 गांवों का विद्युतीकरण हुआ था जबकि तीन गांवों में बाद में तकनीकी कारणों से विद्युतीकरण नहीं माना गया था। शेष छः गांवों में विद्युतीकरण किया जाना अभी बाकी था। इसके अतिरिक्त, विद्युतीकृत गांवों में 1,113 घरों में से गरीबी रेखा से नीचे वाले 38 घरों सहित 1,025 घर भी आवृत्त किए गए थे और शेष 88 घरों का विद्युतीकरण किया जाना अभी शेष था। ₹ 13.72 करोड़ के स्वीकृत मूल्य के प्रति ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने ₹ 11.54 करोड़ की राशि निस्तारित की। तथापि, बोर्ड ने ₹ 12.82 करोड़ (₹ 0.51 करोड़ वर्धित कर के रूप में और प्रवेश कर बोर्ड द्वारा उठाया जाना था सहित) खर्च किए थे।

इस प्रकार, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की संस्थीकृति में विलम्ब के परिणामस्वरूप न केवल ₹ 5.43 करोड़ की लागत वृद्धि ही नहीं हुई बल्कि स्कीम के शुरू होने (मार्च 2005) के सात वर्षों के पश्चात् भी विद्युतीकरण के लाभों से पात्र घरों को वंचित रहना पड़ा।

प्रत्युत्तर में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड, शिमला के अधीक्षण अभियंता ने बताया (जुलाई 2012) कि पात्र घरों को विद्युतीकरण लाभ दिसम्बर 2012 तक उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। उत्तर परियोजना की अपूर्णता जो कि निर्दिष्ट समयावधि के अंतर्गत सुनिश्चित नहीं की जा सकी थी, का कारण स्पष्ट नहीं करता है। कुल मिलाकर मार्च 2012 तक जिले के 234 में से 10 गांव विद्युतीकरण हेतु शेष थे।

अन्तिम सम्मेलन में अधिशासी अभियंता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया (नवम्बर 2012) कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार होने में कुछ समय लिया गया था और उसके बाद ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुमोदन में अत्यधिक लम्बा समय लिया था।

सिफारिश

- जिला प्रशासन को अपनी आन्तरिक प्रक्रिया सुप्रवाही बनानी चाहिए तथा विद्युतविहीन गांवों/घरों की व्याप्ति सुनिश्चित करने तथा परियोजना को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के लिए विभिन्न अभिकरणों के बीच में समन्वय बनाना चाहिए

5.5 आपदा राहत निधि स्कीम

प्राकृतिक आपदाओं के परिणामस्वरूप राहत उपाय दो निधियों अर्थात् आपदा राहत निधि तथा राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि से किए जाते हैं। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने स्कीमों को बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित आपदा राहत निधि/ राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि के गठन तथा प्रशासन के लिए अधिसूचित किया है।

अन्य बातों के साथ-साथ आपदा राहत निधि/ राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि की स्कीम में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य की राज्य स्तरीय समिति, जिसका अध्यक्ष मुख्य सचिव है, यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि आपदा राहत निधि से आहरित राशि वास्तव में उस उद्देश्य के लिए, जिसके लिए आपदा राहत निधि गठित की गई है तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मानकों के अनुसार व्यय की स्वीकार्य मदों पर प्रयुक्त की गई है।

स्कीम वित्तीय वर्ष 2005-06 से शुरू की गई थी तथा वित्तीय वर्ष 2009-10 के अंत तक जारी थी। 2010-11 से आगे आपदा राहत निधि को राज्य विपत्ति प्रतिक्रिया निधि का नया नाम दिया गया है तथा राष्ट्रीय आपदा राहत निधि का राष्ट्रीय विपत्ति प्रबन्धन निधि में विलय हो गया ।

निधियां उपायुक्त को बजटीय प्रक्रिया द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। आहरण के पश्चात् निधियों को कार्यों के निष्पादन तथा प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ितों को तत्काल राहत उपलब्ध करवाने के लिए कार्यान्वयन अभिकरणों अर्थात् खण्ड विकास अधिकारियों, लोक निर्माण, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, उप-मण्डलीय अधिकारी-सिविल आदि को प्रेषित किया जाता है।

2007-12 के दौरान किनौर जिले में आपदा राहत निधि के अंतर्गत बजट आवंटन तथा इसके प्रति किए गए व्यय की वर्षवार स्थिति तालिका-27 में दर्शाई जा रही है:

तालिका-27

2007-12 के दौरान आपदा राहत निधि के अंतर्गत प्राप्त निधियों तथा किए गए व्यय की स्थिति

(₹ करोड़)

वर्ष	बजट आवंटन			किया गया व्यय		
	मरम्मत एवं पुनः स्थापन कार्य	अनुगृहीत राहत	कुल	मरम्मत एवं पुनः स्थापन कार्य	अनुगृहीत राहत	कुल
2007-08	2.37	1.29	3.66	2.37	1.29	3.66
2008-09	0.67	1.38	2.05	0.67	1.38	2.05
2009-10	1.15	1.63	2.78	1.15	1.63	2.78
2010-11	3.06	1.56	4.62	3.06	1.56	4.62
2011-12	0.25	1.09	1.34	0.25	1.09	1.34
कुल	7.50	6.95	14.45	7.50	6.95	14.45

स्रोत: उपायुक्त किनौर द्वारा आपूरित आंकड़े।

निम्नवत् बिन्दु ध्यान में आएः

◆ उपयोगिता प्रमाण पत्र की गैर-प्राप्ति

लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि निधियों के आहरण के बाद उपायुक्त द्वारा आपदा राहत निधियों के अंतर्गत सड़कों, सिंचाई कूहर्ल, पुलों के लिए, खेल के मैदानों, सामुदायिक केन्द्रों, महिला मण्डल भवनों आदि 628 मरम्मत तथा पुनः स्थापन कार्यों के लिए ₹ 7.50 करोड़ की समग्र राशि आगे निस्तारित की गई। इनमें से ₹ 2.14 करोड़ के 197 कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किए गए तथा ₹ 5.36 करोड़ के 431 कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी प्राप्त किए जाने थे (जुलाई 2012)। जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में सामान्य तीव्रता की आपदा पर मरम्मत/ पुनःस्थापन कार्य 45 दिनों में तथा गम्भीर तीव्रता के मामलों में 60 दिनों के अन्दर किए जाने अपेक्षित हैं, उपायुक्त द्वारा ₹ 5.36 करोड़ के 431 कार्यों की भौतिक तथा वित्तीय प्रगति का अनुश्रवण नहीं किया गया था।

उपायुक्त ने बताया (जुलाई 2012) कि कार्यों की स्थिति जैसे कि रुके के हुए कार्य, किए जा रहे कार्य, अभी तक शुरू न किए गए कार्य से सम्बन्धित कोई अभिलेख नहीं था। केवल उपयोगिता प्रमाण पत्रों पर निगरानी द्वारा अनुश्रवण किया जा रहा है। उन्होंने आगे बताया कि किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण सम्बन्धित

5 एक लघु खुली सिंचाई जलमार्ग।

उप-मण्डलों के द्वारा करना अपेक्षित है। तथापि, तथ्य यह है कि राहत कार्यों पर उचित अनुश्रवण मौजूद नहीं था। अतः निधियों के दुर्विनियोजन/ दुरुपयोग की सम्भावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता।

◆ अनुगृहीत राहत

अनुगृहीत राहत प्राकृतिक आपदाओं के कारण व्यक्तियों के घायल अथवा मृत्यु होने पर, मवेशियों की हानि तथा आवास गृह की हानि के मामलों में प्रभावित लोगों को तत्काल राहत के रूप में प्रदान की जाती है। इस प्रकार, यह महत्वपूर्ण है कि चाहे जितनी भी राहत प्रदान की जाने वाली है, यह न्यूनतम समय बरबाद किये उपलब्ध करवाई जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि तीन उप-मण्डलों के उप-मण्डलीय दण्डाधिकारियों को निस्तारित ₹ 6.95 करोड़ में से, ₹ 20.14 लाख की राशि उप-मण्डलीय दण्डाधिकारियों कल्पा (₹ एक लाख) तथा निचार (₹ 19.14 लाख) द्वारा प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावितों को वितरित नहीं की गई थी तथा जून 2012 तक बचत बैंक खातों में अप्रयुक्त रही थी।

उपायुक्त ने बताया (जुलाई 2012) कि सम्बन्धितों की तरफ से आवश्यक दस्तावेजों के अभाव में निधियां वितरित नहीं की गई थी तथा इसके सम्बन्ध में अनुवर्ती कार्रवाई सम्बन्धित उप-मण्डलीय दण्डाधिकारियों द्वारा की जाएगी। उत्तर विश्वसनीय नहीं है क्योंकि सम्बन्धित उप-मण्डलीय दण्डाधिकारियों को अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त करने के लिए राजस्व विभाग के फील्ड स्टॉफ को निर्देश दिए जाने चाहिए।

◆ विभिन्न अभिकरणों को निस्तारित आपदा राहत निधि का मिलान न करना

वर्ष 2007-12 के दौरान उपायुक्त ने आपदा राहत निधि के अंतर्गत मरम्मत एवं पुनःस्थापन कार्यों के लिए ₹ 16 लाख खण्ड विकास अधिकारी पूर्व (₹ 9.50 लाख), अधिशासी अभियंता हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग कड़छम (₹ 1.50 लाख) तथा अधिशासी अभियंता, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मण्डल, पूर्व (₹ पाँच लाख) को निस्तारित किए परन्तु उपरोक्त अभिकरणों के अभिलेखों में इन निधियों की प्राप्ति उपलब्ध नहीं थी। निधियों के दुर्विनियोजन की सम्भावनाओं के निवारण के लिए मामले की जांच आवश्यक है।

उत्तर में उपायुक्त ने बताया (नवम्बर 2012) कि ₹ 1.50 लाख निस्तारित नहीं किए गए हैं तथा वे बैंक खाते में अभी तक अप्रयुक्त पड़े हैं। उन्होंने आगे बताया कि खण्ड विकास अधिकारी पूर्व द्वारा नवम्बर 2008 तथा फरवरी 2012 के मध्य ₹ आठ लाख भी आहरित किए गए थे तथा शेष राशि अभी जांचाधीन है। उत्तर यह स्पष्ट नहीं करता है कि प्राथमिकता के आधार पर राहत कार्यों के निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए निस्तारित आपदा राहत निधियों का उचित मिलान क्यों नहीं किया गया था।

◆ मरम्मत तथा पुनःस्थापन कार्यों की पूर्णता में विलम्ब

आपदा राहत निधि के अन्तर्गत स्वीकृत क्षतिग्रस्त कार्यों की मरम्मत तथा पुनःस्थापन का कार्य 60 दिनों की अधिकतम अवधि के अन्दर पूरा किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि चयनित किए गए दो खण्डों⁶ में 2007-12 के दौरान ₹ 3.19 करोड़ की लागत से 258 मरम्मत एवं पुनःस्थापन कार्यों को संस्वीकृत किया गया तथा जून 2012 तक इन कार्यों के निष्पादन पर ₹ 1.83 करोड़ का व्यय किया जा चुका था। यद्यपि, यह देखा गया कि जून 2012 तक

⁶ निचार और पूर्व।

₹ 0.41 करोड़ का व्यय करने के पश्चात् 54 कार्य अधूरे पड़े थे। इन कार्यों की पूर्णता में विलम्ब एक माह से 56 माह के मध्य था।

सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों ने (जून 2012) कार्यों के पूर्ण न होने के लिए कार्य करने के लिए सीमित कार्य अवधि, पंचायत तथा भूमि मालिकों के मध्य विवाद, खड़ु में पानी के तेज बहाव आदि को ठहराया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इस तरह के सभी तथ्यों को ध्यान में रखने के बाद ही निधियां निस्तारित की जानी चाहिए।

◆ कार्यों का आरम्भ न होना

नमूना-जांच किए गए खण्डों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि 2007-12 के दौरान ₹ 66 लाख की लागत से संस्थीकृत सड़कों की मरम्मत, रिटेनिंग दीवारें, स्कूल के मैदानों, सामुदायिक भवनों आदि जैसे 70 कार्यों को जून 2012 तक शुरू नहीं किया गया था तथा संपूर्ण राशि बैंक खातों में अप्रयुक्त रही।

सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों ने बताया (जून 2012) कि सीमित कार्य अवधि, भूमि तथा पर्याप्त निधियों की अनुपलब्धता के कारण कार्यों को शुरू नहीं किया जा सका। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भूमि की अनुपलब्धता तथा पर्याप्त निधियों की अनुपलब्धता की अवस्था में मामला उपयुक्त कर्रवाई के लिए उपायुक्त के ध्यान में लाया जाना चाहिए था।

सिफारिश

सरकार/ जिला प्रशासन विचार करें:

- कार्यों की भौतिक प्रगति पर निगरानी रखने के लिए उपायुक्त कार्यालय में एक अनुश्रवण तंत्र की स्थापना करना क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावितों को तत्काल राहत उपलब्ध कराने के वास्तविक उद्देश्य को विफल करते हुए भारी मात्रा में कार्य अपूर्ण/ शुरू नहीं हुए/ रुके पड़े थे तथा निधियां बैंक खातों में अप्रयुक्त पड़ी थीं।